



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242]
No. 1242]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2006

क्रा.आ. 1776(अ).—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 (2005 का 43) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा अक्टूबर, 2006 के छब्बीसवें दिन को ऐसी तारीख नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. 19-3/2005-डब्ल्यू डब्ल्यू]

पारुल देबी दास, संयुक्ता सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2006

S. O. 1776(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005) the Central Government hereby appoints the 26th day of October, 2006, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 19-3/2005-WW]

PARUL DEBIDAS, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

No. 498]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 644(अ).—केंद्रीय सरकार, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006 है।

(2) ये अक्तूबर, 2006 के छब्बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) “शिकायत” से संरक्षण अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई मौखिक या लिखित अभिकथन अभिप्रेत है ;

(ग) “परामर्शदाता” से सेवा प्रदाता का कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन परामर्श देने के लिए सक्षम हो ;

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव - (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकेंगे :

परंतु महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी ।

(2) अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होगा ।

(3) संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि होगी ।

(4) राज्य सरकार, संरक्षण अधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यालय सहायता उपलब्ध कराएगी ।

4. संरक्षण अधिकारियों को सूचना - (1) कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है वह इसके बारे में सूचना उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में देगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन संरक्षण अधिकारी को मौखिक सूचना देने की दशा में, वह उसे लेखबद्ध कराएगा/ कराएगी और यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उस पर ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और सूचना देने वाला लिखित जानकारी देने की स्थिति में नहीं है तो संरक्षण अधिकारी समाधान करेगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का अभिलेख रखेगा ।

(3) संरक्षण अधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित की गई सूचना की प्रति तुरंत बिना खर्च के सूचना देने वाले को देगा ।

5. घरेलू हिंसा की रिपोर्ट - (1) संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर प्रारूप - 1 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी प्रतियां स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर जहां ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है के पुलिस थाना के भार साधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजेगा ।

(2) किसी व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर कोई सेवा प्रदाता प्ररूप - 1 में घरेलू हिंसा रिपोर्ट अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले उस संरक्षण अधिकारी को, जहां ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, भेजेगा।

6. मजिस्ट्रेट को आवेदन — (1) व्यथित व्यक्ति का प्रत्येक आवेदन धारा 12 के अधीन प्ररूप - 2 या उसके यथासंभव निकटतम रूप में होगा।

(2) कोई व्यथित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपने आवेदन पत्र को तैयार करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता ले सकेगी और उसे संबंध मजिस्ट्रेट को भेजेगी।

(3) व्यथित व्यक्ति के अशिक्षित होने की दशा में, संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्र को पढ़ेगा और उसकी अंतर्वस्तु को उसे समझाएगा।

(4) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किए जाने वाला शपथ पत्र प्ररूप - 3 में होगा।

(5) आवेदन धारा 12 के अधीन निपटाए जाएंगे और आदेशों का प्रवर्तन उसी रीति में होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन अधिकथित है।

7. मजिस्ट्रेट का एक पक्षीय आदेश को प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र -- धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए फाइल किया गया प्रत्येक शपथ पत्र प्ररूप - 3 में होगा।

8. संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य — (1) संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा -

(i) व्यथित व्यक्ति को, अधिनियम के अधीन कोई शिकायत करने के लिए यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करे, सहायता देना ;

(ii) अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को प्ररूप - 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना जो अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होगी ;

(iii) किसी व्यक्ति को धारा 12 या धारा 23 की उपधारा (2) या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई आवेदन करने के लिए सहायता करना ;

- (iv) धारा 12 के अधीन कोई आवेदन देने पर प्ररूप - 5 में व्यथित व्यक्ति के परामर्श स उस स्थिति में अंतर्वलित खतरों का निर्धारण करने के पश्चात्, "सुखा योजना" तैयार करना जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को और घरेलू हिंसा से निवारित करने के लिए उपाय भी हैं ; और
- (v) व्यथित व्यक्ति को राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराना ;
- (vi) व्यथित व्यक्ति या किसी बालक को किसी चिकित्सा सुविधा पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायता करना जिसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए परिवहन उपलब्ध कराना भी है ;
- (vii) व्यथित व्यक्ति या किसी बालक को आश्रय के लिए परिवहन प्रदान करने के लिए सहायता करना ;
- (viii) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं को सूचना देना कि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में उनकी सेवाओं की अपेक्षा की जा सकेगी और अधिनियम के अधीन धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 15 के अधीन कल्याण विशेषज्ञों को कार्यवाहियों में परामर्शियों के रूप में उसके सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित करना ;
- (ix) परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदनों की संवीक्षा करना और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध परामर्शियों की सूची भेजना ;
- (x) उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची को तीन वर्ष में एक बार नए आवेदन मंगाकर पुनरीक्षित करना और उस आधार पर परामर्शदाताओं की पुनरीक्षित सूची को संबद्ध मजिस्ट्रेट को भेजना ;
- (xi) धारा 9, धारा 12, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 23 या अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन अग्रेषित रिपोर्ट और दस्तावेजों के अभिलेख या प्रतियां रखना ;
- (xii) व्यथित व्यक्ति और बालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यथित व्यक्ति का घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उत्पीड़न नहीं किया जा सहा है या दबाव नहीं डाला जा रहा है, सभी संभव सहायता उपलब्ध कराना ;
- (xiii) व्यथित व्यक्ति या व्यक्तियों, पुलिस और सेवा प्रदाता के बीच अधिनियम या इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति से संपर्क रखना ;
- (xiv) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा सुविधा और आश्रयगृहों के उचित अभिलेख रखना ;

2. संरक्षण अधिकारी को धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ज) के अधीन, समानुदेशित दायित्वों और कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा -

(क) घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्तियों को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में संरक्षण देना ;

(ख) व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा की आवृत्तियों को रोकने के लिए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सभी युक्तियुक्त उपाय करना ।

9. आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्रवाई — यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ई-मेल या किसी टेलीफोन काल या उसी रूप में व्यथित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा है या होने की संभावना है और ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटना स्थल पर जाएगी और घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उसे अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा ।

10. संरक्षण अधिकारी के कतिपय अन्य कर्तव्य — (1) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निदेश दिया जाए, तो संरक्षण अधिकारी—

(क) साझी गृहस्थी में निवास के परिसर में निरीक्षण करेगा और आरंभिक जांच करेगा यदि न्यायालय अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को एक पक्षीय अंतरिम राहत देने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा ऐसे गृह निरीक्षण के लिए आदेश पारित करेगा ;

(ख) समुचित जांच करने के पश्चात्, उपलब्धियों, आस्तियों, बैंक खातों या न्यायालय द्वारा निदेशित किए गए किन्हीं अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट फाइल करेगा ;

(ग) व्यथित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा बहाल कराएगा जिसके अंतर्गत उपहार और आभूषण और साझी गृहस्थी का सामान भी है ;

(घ) व्यथित व्यक्ति को बालकों की अभिरक्षा पुनः प्राप्त कराने में सहायता देगा और उनके अधीक्षण के अधीन उनके निरीक्षण के अधिकार को, जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाएं, सुनिश्चित करेगा ;

(ङ) मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रीति में अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में आदेशों जिसमें धारा 12 धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 23 के अधीन आदेश भी हैं, को ऐसी रीति में जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाएं, प्रवर्तन कराने में न्यायालय की सहायता करेगा ;

(च) यदि अभिकथित घरेलू हिंसा में अंतर्बलित किसी अस्त्र के अधिहरण में, यदि अपेक्षित हो पुलिस की सहायता लेगा ।

(2) संरक्षण अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी अनुपालन करेगा, जो उसे राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम और इन नियमों को समय समय पर प्रभावी करने के लिए समानुदेशित किए जाएं ।

(3) मजिस्ट्रेट, किसी मामले में प्रभावी अनुतोष के लिए आदेशों के अतिरिक्त, मामलों के अच्छे प्रबंधन के लिए अपनी अधिकारिता के संरक्षण अधिकारियों को साधारण व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए बाध्य होगा ।

11. सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण — (1) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वयंसेवी संगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या कोई कंपनी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों की किसी विधिमान्य साधनों जिसके अंतर्गत विधिक सहायता चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायताएं हैं और अधिनियम के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हों, द्वारा रक्षा करने के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी हैं, राज्य सरकार को प्ररूप - 6 में सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करेगा ।

(2) राज्य सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और आवेदक की उपयुक्तता के बारे में स्वयं का समाधान होने के पश्चात्, उसे सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर करेगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगी ;

परंतु ऐसा कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक संगम या कंपनी जो धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहती है निम्नलिखित पात्रता मानदंड रखेगी, अर्थात् ;—

(क) वह अधिनियम और इन नियमों के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले से इस अधिनियम के अधीन प्रस्थापित की जाने वाली प्रकार की सेवाएं कर रहा हों ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदकों के मामले में, जो किन्हीं चिकित्सा सुविधा या मनोविज्ञान सलाह केन्द्र या कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था चला रहे हैं, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक ऐसी सुविधा या संस्था को चलाने के लिए अपने-अपने वृत्तिकों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले अपने-अपने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हों ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदक की दशा में, जो किसी आश्रयगृह को चला रहे हैं, राज्य सरकार, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा आश्रयगृह का निरीक्षण कराएगी, रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसके निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे —

- (i) आश्रय चाहने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने के लिए ऐसे आश्रयगृहों की अधिकतम क्षमता ;
- (ii) महिलाओं के लिए आश्रयगृहों को चलाने के लिए सुरक्षित स्थान है और आश्रय गृहों के लिए स्थान में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है ;
- (iii) आश्रयगृहों के लिए कोई चालू टेलीफोन कनेक्शन या वासियों के उपयोग के लिए अन्य संसूचना माध्यम हैं ।

(3) राज्य सरकार, संबद्ध संरक्षण अधिकारियों को विभिन्न स्थानों में सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराएगी और ऐसी सूची को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगी या उसे वेब साइट पर रखेगी ।

(4) संरक्षण अधिकारी, सम्यक् रूप से अनुक्रमांकित रजिस्ट्रों द्वारा समुचित अभिलेखों के रजिस्टर रखेगा जिसमें सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे भी होंगे ।

12. सूचना की तामील का माध्यम — (1) अधिनियम के अधीन संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में उपसंज्ञात होने के लिए सूचना में घरेलू हिंसा करने वाले अभिकथित व्यक्ति का नाम, घरेलू हिंसा की प्रकृति और ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे, जो संबद्ध व्यक्ति की पहचान को सुकर बना सकें ।

(2) सूचना की तामील निम्नलिखित शीति में की जाएगी, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की बाबत सूचनाओं की तामील संरक्षण अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो संरक्षण अधिकारी द्वारा उसकी ओर से ऐसी सूचना की तामील करने के लिए निदेशित किया जाए,

यथास्थिति, शिकायतकर्ता या व्यथित व्यक्ति द्वारा भारत में प्रत्यर्थी के उस पते पर जहां प्रत्यर्थी मामूली रूप से निवास कर रहा है या जहां प्रत्यर्थी अभिकथित रूप से लाभ के लिए नियोजित है, कराई जाएगी ;

(ख) सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो उस समय ऐसे स्थान का भारसाधक है और उस दशा में जहां ऐसा परिदान संभव न हो तो उसे परिसर के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाएगा ।

(ग) धारा 13 या अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन उस सूचना की तामील के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के आदेश 5 के उपबंध या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय - 6 के अधीन उपबंध जहां तक व्यवहार्य हो, अपनाए जा सकेंगे ।

(घ) सूचनाओं की ऐसी तामील के लिए पारित किसी आदेश का वही प्रभाव होगा जो क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय - 6 में पारित आदेशों का होता, धारा 13 या अधिनियम की किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी तामील के लिए कोई आदेश करने के लिए प्रभावकारी पाई गई प्रक्रिया पर निर्भर रहते हुए और आदेश - 5 या अध्याय - 6 के अधीन विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त न्यायालय, अधिनियम में उपबंधित समय सीमा का पालन करने के लिए कार्यवाहियों को शीघ्रता से चलाने की दृष्टि से अन्य आवश्यक उपायों के लिए भी निदेश दे सकेगा ।

(3) प्रत्यर्थी के उपस्थित होने की नियत तारीख को किसी कथन पर या अधिनियम के अधीन सूचना की तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की इस रिपोर्ट पर, कि तामील कर दी गई है, शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी या दोनों को सुनने के पश्चात् अंतरिम राहत के लिए लंबित किसी आवेदन पर न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जाएगा ।

(4) जब प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी में प्रवेश करने से अवरुद्ध करने का संरक्षण आदेश पारित किया जाता है या प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाता है कि वह यात्री से दूर रहे या उससे संपर्क न करे, तब व्यथित व्यक्ति की किसी भी कार्यवाई को, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा आमंत्रण भी है, न्यायालय आदेश द्वारा प्रत्यर्थी पर अधिरोपित अवरोध को हटाना नहीं साझा जाएगा जब तक कि ऐसा संरक्षण आदेश धारा 25 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में सम्यक रूप से उपांतरित नहीं कर दिया जाता ।

13. परामर्शदाताओं की नियुक्ति — (1) संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

(2) निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्यवाही में परामर्श दाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे,

अर्थात् :-

(i) कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय-वस्तु में हितबद्ध है या उससे संबंध है या पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में ऐसे आदेश का अभिव्यक्ति न कर दिया गया हो।

(ii) कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबंध कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुआ हो।

(3) परामर्शदाता जहां तक संभव हो महिला होगी।

14. परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया - (1) परामर्शदाता, न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधारण अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति या दोनों पक्षकारों की किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठक बुलाएंगे।

(3) परामर्श के लिए बुलाए गए कारकों के अंतर्गत एक कारक यह भी होगा कि प्रत्यर्थी यह वचनबंध देगा कि वह ऐसी घरेलू हिंसा से जो परिवादी द्वारा शिकायत की गई है, दूर रहेगा और समुचित मामले में यह वचनबंध देगा कि वह मिलने का प्रयास नहीं करेगा या परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों या संक्षम अधिकारिता के न्यायालय के आदेश से विधि या आदेश से अनुज्ञेय के सिवाय संसूचना की किसी शीति में पत्र या टेलीफोन, इलैक्ट्रॉनिक मेल या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो, संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

(4) परामर्शदाता, परामर्श कार्यवाहियों को यह ध्यान में रखते हुए संचालित करेगा कि परामर्श यह आश्वासन प्राप्त करने की प्रकृति का हो कि घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(5) प्रत्यर्थी उस तथ्य के परामर्श में घरेलू हिंसा के अभिकथित कृत्य के लिए किसी प्रति न्यायोचित्य के लिए अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के लिए कोई न्यायोचित्य परामर्श कार्यवाहियां, जो कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्यर्थी की जानकारी में होनी चाहिए, के भाग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) प्रत्यर्थी को परामर्शदाता यह वचनबंध देगा कि वह व्यथित व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में ऐसी घरेलू हिंसा करने से अपने को दूर रखेगा और उपयुक्त मामलों में यह वचन देगा कि वह परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों के सिवाय पत्र या टेलीफोन द्वारा ऐसी किसी शीति में संसूचना ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से मिलने का प्रयास नहीं करेगा।

(7) यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा करे, तो परामर्शदाता, मामले के समाधान के लिए प्रयास करेगा

- (8) परामर्शदाता के प्रयासों की सीमित परिधि में व्यथित व्यक्ति की शिकायत को समझने की है और उसकी शिकायत पर उत्तम संभावित समाधान और प्रयास ऐसे समाधानों के लिए निवारणों और उपायों को ध्यान में रखते हुए करेगा।
- (9) परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति की शिकायत के समाधान के लिए सुझाए गए उपायों द्वारा समाधान के लिए निबंधनों के पुनः निश्चित करने और परामर्श के लिए पक्षकारों द्वारा सुझाए गए उपायों या उपचारों को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित हो समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेगा।
- (10) परामर्शदाता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों द्वारा आबद्ध नहीं होगा और वह उसका कार्य निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों से मार्ग दर्शाएगा और उसका उद्देश्य व्यथित व्यक्ति के समाधान प्रद रूप में घरेलू हिंसा को समाप्त करना होगा और परामर्शदाता इस निमित्त ऐसे प्रयास करते समय व्यथित व्यक्ति की इच्छाओं और संवेदनाओं का सम्यक ध्यान रखेगा।
- (11) परामर्शदाता, मजिस्ट्रेट को समुचित कार्यवाही के लिए यथासंभव शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगा।
- (12) परामर्शदाता विवाद के समाधान पर पहुंचते समय वह समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करेगा और उसे पक्षकारों द्वारा पृष्ठांकित कराएगा।
- (13) न्यायालय, समाधान की प्रभावकारिता के बारे में समाधान हो जाने पर और पक्षकारों से आरंभिक पूछताछ करने के पश्चात् तथा ऐसे समाधान के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकना, प्रत्यर्थी द्वारा किए जाने की स्वीकार्यता, शर्तों के साथ या बिना निबंधनों को स्वीकार करने के लिए भी है।
- (14) न्यायालय का परामर्श की रिपोर्ट से समाधान हो जाने पर समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा या व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर, पक्षकारों की सहमति से, समझौते के निबंधनों को उपांतरित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा।
- (15) उन दशाओं में जहां परामर्श कार्यवाहियों पर किसी समझौते के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते वहां, परामर्शदाता ऐसी कार्यवाहियों के असफल होने की रिपोर्ट न्यायालय को देगा और न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले में कार्यवाही करेगा।
- (16) मामले में कार्यवाहियों के अभिलेख सारवान अभिलेख नहीं समझे जाएंगे, जिनके आधार पर कोई संदर्भ अर्थ निकाला जा सके या उसके आधार पर केवल आदेश पारित किया जा सकेगा।
- (17) न्यायालय, धारा 25 के अधीन केवल यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे कोई आदेश के लिए आवेदन बल, कपट या प्रपीड़न या किसी अन्य कारण के द्वारा निष्फल नहीं होगा, आदेश पारित करेगा और उस आदेश के ऐसे समाधान के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया कोई वचनबंध या प्रतिभूति भी हो सकेगी।

15. **संरक्षण आदेशों का भंग होना** - (1) कोई व्यक्ति व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी को संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश के भंग की रिपोर्ट कर सकेगा ।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक रिपोर्ट सूचना देने वाले द्वारा लिखित में होगी और व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगी ।
- (3) संरक्षण अधिकारी ऐसी शिकायत की एक प्रति ऐसे संरक्षण आदेश के साथ भेजेगा जिसके भंग होने का अभिकथन किया गया है, समुचित आदेशों के लिए संबद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।
- (4) व्यक्ति यदि वह ऐसी वांछ करती है तो, संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश के भंग की शिकायत सीधे, यदि वह ऐसा चयन करे, मजिस्ट्रेट या पुलिस को कर सकेगी ।
- (5) यदि संरक्षण आदेश के भंग किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, व्यक्ति सहायता चाहती है तो, संरक्षण अधिकारी तुरंत स्थानीय पुलिस थाने से उसको बचाने के लिए पुलिस मांग सकेगा और समुचित मामलों में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराने में व्यक्ति की सहायता कर सकेगा ।
- (6) जब धारा 31 या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन अपराधों के संबंध में या किसी अन्य अपराध के संबंध में जो संक्षिप्त विचारणीय नहीं है, आरोप विरचित किए जाते हैं तथा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित रीति में विचारण किए जाने वाले ऐसे अपराधों के लिए कार्यवाहियों को पृथक् कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 21 के उपबंधों के अनुसरण में, धारा 31 के अधीन संरक्षण आदेशों को भंग करने के अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा ।
- (7) प्रत्यर्थी द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के आदेशों के प्रत्यावर्तन में कोई अयरोध या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, अधिनियम के अधीन आने वाले संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना समझा जाएगा ।
- (8) किसी संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का कोई भंग होने पर तत्काल स्थानीय अधिकारिता रखने वाले स्थानीय पुलिस थाने को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी और उस पर धारा 31 और धारा 32 के अधीन यथा उपबंधित संज्ञेय अपराध के रूप में कार्रवाई की जाएगी ।
- (9) जब अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय न्यायालय आदेश द्वारा व्यक्ति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तें लगा सकेगा और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) अभियुक्त को घरेलू हिंसा के किसी कृत्य कारित करने की धमकी देने या करने से अवरुद्ध करने का कोई आदेश ;

- (ख) अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति को परेशान करने, टेलीफोन करने या कोई संपर्क करने से रोकने का कोई आदेश ;
- (ग) अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति के निवास स्थान या किसी अन्य स्थान पर, जहां उसके जाने की संभावना हो, खाली करने या उससे दूर रहने का कोई आदेश ;
- (घ) कोई आग्नेय अस्त्र या कोई अन्य खतरनाक हथियार के कब्जे में रखने या उपयोग करने से प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश ;
- (ङ) एल्कोहल या कोई अन्य मादक ओषधि के उपयोग को प्रतिषिद्ध का कोई आदेश ;
- (च) कोई अन्य आदेश जो व्यथित व्यक्ति के संरक्षण, सुरक्षा और पर्याप्त अनुतोष के लिए अपेक्षित हो ।

16. व्यथित व्यक्ति को आश्रय - (1) व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति को धारा 6 के अधीन लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा रहा है ।

(2) जब कोई संरक्षण अधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुरोध करता है तो धारा 9 के अधीन या धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करेगा :

परंतु आश्रय गृह किसी व्यथित व्यक्ति को उसके आश्रयगृह में आश्रय के लिए आवेदन किए जाने से पहले घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के दर्ज न होने पर, अधिनियम के अधीन आश्रय के लिए मना नहीं करेगा ।

(3) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछ करें तो आश्रयगृह व्यथित व्यक्ति की पहचान आश्रयगृह में प्रकट नहीं करेगा या उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, संसूचित नहीं करेगा ।

17. व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा -

(1) व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भारसाधक व्यक्ति को धारा 7 के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 7 के अधीन किया गया है ।

(2) जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करता है तब उसके साथ घरेलू हिंसा रिपोर्ट की एक प्रति भी होगी ।

परंतु चिकित्सा सुविधा प्रदाता, अधिनियम के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति को उसके द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किए जाने से पहले, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने पर, चिकित्सा सहायता या परीक्षण के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए मना नहीं करेगा ।

(3) यदि घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा का भारसाधक व्यक्ति इसे प्ररूप 1 में भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजेगा।

(4) चिकित्सा सुविधा प्रदाता, व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति खर्च के बिना उपलब्ध कराएगा।

प्ररूप I

[नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17(3) देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 9(ख) और धारा 37(2) (ग) के अधीन घरेलू घटना की रिपोर्ट

1. परिवादी/ व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे :

(1) परिवादी/ व्यथित व्यक्ति का नाम :

(2) आयु :

(3) साझी गृहस्थी का पता :

(4) वर्तमान पता :

(5) दूरभाष नं., यदि कोई हो :

2. प्रत्यर्थियों के ब्यौरे :

क्रम सं.	नाम	व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नं., यदि कोई हो

3. व्यथित व्यक्ति की संतानों के, ब्यौरे यदि कोई हों

(क) संतानों की संख्या :

(ख) संतानों के ब्यौरे :

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं

4. घरेलू हिंसा की घटनाएं :

क्रम सं.	हिंसा की तारीख, स्थान और समय	वह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा कारित की	घटना का प्रकार शारीरिक हिंसा	टिप्पणियां
			किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	

(ii) लैंगिक हिंसा

कृपया लागू होने वाले स्तंभ के सामने [✓] चिह्नित करें

			बलपूर्वक मैथुन अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना लैंगिक प्रकृति का, दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना (कृपया नीचे दिए गए खाली स्थान में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	
--	--	--	---	--

(ii) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार

			चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग / कलंक लगाना दहेज आदि न लाने हेतु अपमान	
--	--	--	---	--

			करना	
			पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना	
			कोई संतान न होने के लिए अपमान करना	
			अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियाँ/कथन करना	
			उपहास करना	
			निंदा करना	
			आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना	
			आपको नौकरी करने से रोकना	
			घर के बाहर जाने से रोकना	
			किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना	
			अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर बल देना	
			अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से निवारित करना	
			आपको उसकी/ उनकी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना	
			कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना	
			(कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	

(iii) आर्थिक बल प्रयोग

			आपको या आपकी संतानों को भरणपोषण के लिए धन न देना आपको या आपकी संतानों को खाना, कपड़े, दवाईयां आदि उपलब्ध न करवाना घर के बाहर रहने के लिए मजदूर करना आपको घर के किसी भाग में घुसने या उसका उपयोग करने से रोकना जाना आपको आपकी नौकरी करने से निवारित किया जा रहा है या उसमें बाधा डाली जा रही है नौकरी करने की अनुज्ञा न देना भाड़े पर ली गई वास-सुविधा की दशा में भाड़ा न देना । कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी के उपयोग की वस्तुओं के उपयोग की अनुज्ञा न देना । आपको सूचित किए बिना और आपकी सहमति के बिना स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बंधक रख देना आपका वेतन, आय या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना । स्त्रीधन का व्ययन करना बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना	
--	--	--	---	--

			कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	
--	--	--	--	--

(iv) दहेज संबंधी उत्पीड़न

			दहेज के लिए की गई मांग, कृपया विनिर्दिष्ट करें : दहेज से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा, कृपया विनिर्दिष्ट करें । क्या दहेज की मदें, स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्ररूप के साथ संलग्न है हां नहीं	
--	--	--	---	--

(v) आपके या आपकी संतानों के विरुद्ध घरेलू हिंसा
से संबंधित कोई अन्य सूचना

(परिषदी/ व्यथित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र		
चिकित्सक प्रमाणपत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज		

6. वह आदेश, जिसकी धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है

क्रम सं.	आदेश	हां/ नहीं	कोई अन्य
(1)	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2)	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3)	धारा 20 के अधीन भरण पोषण का आदेश		
(4)	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5)	धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश		
(6)	कोई अन्य आदेश (दिनिर्दिष्ट करें)		

7. ऐसी सहायता, जिसकी आपको आवश्यकता हो

क्र. सं.	उपलब्ध सहायता	हां/ नहीं	सहायता की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परामर्शदाता		
(2)	पुलिस सहायता		
(3)	दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए सहायता		
(4)	आश्रय गृह		
(5)	चिकित्सा सुविधाएं		
(6)	बिधिक सहायता		

8. किसी धरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश :

जहां कहीं इस प्रारूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है वहां पुलिस अधिकारी,—

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दंडिक कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकती है ;

(ख) यदि व्यथित व्यक्ति दंडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करना नहीं चाहती है तो घरेलू हिंसा रिपोर्ट में अंतर्दिष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक जायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित व्यक्ति, अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के संबंध होने के कारण घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती है और उसने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले को, किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जांच के लिए लंबित रखा जाए ।

(ग) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी भारीरेक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई है तो उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच की जाएगी ।

स्थान :

(अभियोजन अधिकारी/ सेवा प्रदाता के प्रति
हस्ताक्षर)

तारीख :

नाम :

पता :

(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई :-

1. स्थानीय पुलिस थाना
2. सेवा प्रदाता / अभियोजन अधिकारी
3. व्यथित व्यक्ति
4. मजिस्ट्रेट

प्ररूप II
[नियम 6(1) देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,

मजिस्ट्रेट न्यायालय

.....
.....

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
(2005 का 43) की धारा.....के अधीन आवेदन

यह दर्शित किया जाता है

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा.....के अधीन घरेलू घटना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा रहा है :-

(क) व्यथित व्यक्ति

(ख) संरक्षण अधिकारी

(ग) व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

2. यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय परिवार/ घरेलू घटना रिपोर्ट का संज्ञान ले और ऐसे सभी कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए ।

(क) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करे और/ या

(ख) धारा 19 के अधीन निवास आदेश पारित करे और/ या

(ग) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष संदाय करने का प्रत्यर्थी को निदेश दे और / या

(घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन आदेश पारित करे और/ या

(ङ) धारा 22 के अधीन प्रतिकर या नुकसानी प्रदत्त करने हेतु प्रत्यर्थी को निदेश दे और/ या

(घ) ऐसे कोई अंतरिम आदेश पारित करे जो न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे ;

(छ) कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए ।

3. अपेक्षित आदेश :

(i) धारा 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेश

आवेदन के संभ 4(क)/ (ख)/ (ग)/ (घ)/ (ङ)/ (च)/ (छ) के निबंधनानुसार वर्णित किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्यों को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी को विद्यालय/ महाविद्यालय/ कार्यस्थल पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना

आपको आपकी नौकरी के स्थान पर जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को आपकी संतानों के विद्यालय/महाविद्यालय, किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना

आपको आपके विद्यालय जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी को आपके साथ किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करने से प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी द्वारा आस्तियों को अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त बैंक लाकर/ खातों के प्रचालन को प्रतिषिद्ध करना और व्यथित व्यक्ति को उसके प्रचालन की अनुज्ञा देना

प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के आश्रितों/ संबंधियों/ किसी अन्य व्यक्ति से, उनके विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए, दूर रहने का निदेश देना ।

कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ii) धारा 19 के अधीन निम्नलिखित निवास आदेश

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,

मुझे साझी गृहस्थी से ब्रेदखल करने या बाहर निकालने से रोकने का आदेश

साझी गृहस्थी के उस भाग में, जिसमें मैं निवास करती हूँ, प्रवेश करने का आदेश

साझी गृहस्थी के अन्य संक्रामण/ व्ययन/ विल्लंगम को रोकने का आदेश

साझी गृहस्थी में उसके अधिकारों का त्यजन

मेरे निजी चीजबस्त तक पहुंच जारी रखने का हकदार बनाने का आदेश

प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों) को,

उसे साझी गृहस्थी से हटाने

उसी स्तर की वैकल्पिक वास सुविधा उपलब्ध करवाने या उसके लिए किराए का संदाय करने

का निदेश देते हुए कोई आदेश

कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iii) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

उपार्जनों की हानि की बाबत दावा की गई रकम

विकल्पीय खर्चों की बाबत दावा की गई रकम

व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि की बाबत दावा की गई रकम

खंड 10(घ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शारीरिक या मानसिक उपहति

दावा की गई रकम

कुल दावा की गई रकम

कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iv) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का निदेश देना :

खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ

प्रतिमास

रुपए

विद्यालय की फीस और उससे संबंधित अन्य खर्च प्रतिमास रकम

रुपए

गृहस्थी के खर्च

प्रतिमास

रुपए

कोई अन्य व्यय

प्रतिमास

रुपए

कुल

प्रतिमास

कोई अन्य आदेश कृपया विनिर्दिष्ट करें

(v) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश

प्रत्यर्थी को संतान या संतानों की अभिरक्षा -

व्यक्ति व्यक्ति को,

उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का ब्योरा

को सौंपने का निदेश देना

(vi) धारा 22 के अधीन प्रतिकर

(vii) कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

4. पूर्व मुकदमेबाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(क)के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा.....के अधीन लंबित है।

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे

(ख)के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा.....के अधीन लंबित है

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे

(ग)के न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा.....में लंबित है

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे

(घ)के न्यायालय में हिंदू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 की धारा.....के अधीन लंबित है।

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे

(ङ) अधिनियम की धाराके अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन

अंतरिम भरणपोषण रु. प्रतिमास

स्वीकृत भरणपोषण रु. प्रतिमास

(च) क्या प्रत्यर्था को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था

एक सप्ताह से कम के लिए एक मास से कम के लिए

एक मास से अधिक के लिए

कृपया अवधि विनिर्दिष्ट करें।

(छ) कोई अन्य आदेश

प्रार्थना :

अतः आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इसमें दावा किए गए अनुतोष (अनुतोषों) स्वीकृत करें और कोई ऐसा आदेश/ ऐसे आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिए और न्याय हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान :

तारीख :

परिवार/ व्यथित व्यक्ति

मार्फत

काउंसिल

सत्यापन :

तारीख.....को.....(स्थान) पर यह सत्यापित किया गया कि उपर्युक्त आवेदन के पैरा 1 से 12 की अंतर्वस्तुएं मेरे ज्ञान में सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख सहित

प्ररूप III

[नियम 6(4) और नियम 7 देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2)
के अधीन शपथपत्र

न्यायालय.....; एमएम.....

पुलिस थाना

.....के मामले में

सुश्री.....और अन्य

...परिवादी

बनाम

श्री.....और अन्य

...प्रत्यर्धी

शपथपत्र

मैं..... पत्नी श्री..... निवासी..... पुत्री
श्री..... निवासी..... वर्तमान में..... पर
निवास कर रही हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ और शपथ पर यह घोषणा करती हूँ कि :

1. मैं, अपने स्वयं और मेरी पुत्री/ पुत्र के..... लिए फाइल किए गए संलग्न आवेदन में आवेदक हूँ।
2. मैं..... की नैसर्गिक संरक्षक हूँ।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित होने के कारण मैं इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ।
4. अभिसाक्षी..... पर प्रत्यर्धी/ प्रत्यर्थियों के साथ..... से..... तक रही थी।
5. धारा (धाराओं)..... के अधीन अनुतोष प्रदान करने के लिए वर्तमान आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे द्वारा/ मेरे अनुदेशों पर दर्ज किए गए हैं।

6. मुझे आवेदन की अंतर्वस्तुएं अंग्रेजी/ हिन्दी / किसी अन्य स्थानीय भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें) पढ़कर सुना दी गई है और उन्हें स्पष्ट कर दिया है।

7. उक्त आवेदन की अंतर्वस्तुओं को इस शपथपत्र के भागरूप में पढ़ा जाए और संक्षिप्तता के लिए उनकी उनकी यहां पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।

8. आवेदक को प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा घरेलू हिंसा के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति की आशंका है जिसके विरुद्ध संलग्न आवेदन में अनुतोष चाहा गया है।

9. प्रत्यर्थी ने आवेदक को धमकी दी है कि.....
.....
.....

10. संलग्न आवेदन में मांगे गए अनुतोष अतिआवश्यक है क्योंकि यदि एक पक्षीय अंतरिम आधार पर उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किए जाते हैं तो आवेदक को अत्याधिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना होगा और उसे प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा कि जा रहे उन घरेलू हिंसा के कार्यों की पुनरावृत्ति/ उनके बढ़ने के खतरे में रहने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके बारे में द्वारा संलग्न आवेदन में शिकायत की गई है।

11. इसमें वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

तारीख.....मास.....20.....को.....में सत्यापित किया गया। उपर्युक्त शपथपत्र की अंतर्वस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

प्ररूप 4

[नियम 8 (1) (ii) देखिए]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन व्यथित व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जानकारी

1. यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में जिसके साथ उसी घर में आप रहती हैं आपको पीटा जाता है, धमकी दी जाती है या उत्पीड़ित की जाती हैं तो आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 आपको घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार देता है।

2. आप अधिनियम के अधीन संरक्षण और सहायता प्राप्त कर सकती हैं यदि आप जिस व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ उसी घर में निवास कर रही हैं/ थीं, आपके विरुद्ध या आपकी देखरेख और अभिरक्षा में किसी बालक के विरुद्ध हिंसा के निम्नलिखित कृत्य करता है—

1. शारीरिक हिंसा :

उदाहरणार्थ :

- (i) मार पीट करना,
- (ii) थप्पड़ मारना,
- (iii) ठोकर मारना,
- (iv) दांत से काटना,
- (v) लात मारना,
- (vi) मुक्का मारना,
- (vii) धक्का देना,
- (viii) धकेलना
- (ix) किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचना

2. लैंगिक हिंसा :

उदाहरणार्थ -

- (i) बलात् लैंगिक मैथुन ;
- (ii) आपको अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करता है ;
- (iii) आपसे दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य कार्य अन्यथा जो आपकी प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का हो ;
- (iv) बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार ।

3. मौखिक और भावनात्मक हिंसा :

उदाहरणार्थ :

- (i) अपमान ;

- (ii) गालियां देना ;
- (iii) आपके चरित्र और आचरण इत्यादि पर दोषारोपण ;
- (iv) पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना ;
- (v) दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान करना ;
- (vi) आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था, में जाने से रोकना ;
- (vii) आपको नौकरी करने से निवारित करना ;
- (viii) आप पर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना ;
- (ix) आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को घर से चले जाने से रोकना ;
- (x) घटनाओं के समान्यक्रम में आपको किसी व्यक्ति से मिलने से निवारित करना ;
- (xi) जब आप विवाह नहीं करना चाहती हों तो विवाह करने के लिए आप को मजबूर करना ;
- (xii) आपकी अपनी पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से आपको रोकना
- (xiii) अपनी पसन्द के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर करना
- (xiv) आत्महत्या करने की धमकी देना
- (xv) कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्यवहार

4. आर्थिक हिंसा

उदाहरणार्थ :

- (i) आपके या बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना,
- (ii) आपके या बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध न कराना,
- (iii) आपको आपका रोजगार चलाने से रोकना, या
- (iv) आपको आपका रोजगार करने में विघ्न डालना
- (v) आपको किसी रोजगार को करने को अनुज्ञात न करना
- (vi) आपकी वेतन, पारिश्रामिक इत्यादि से आय को ले लेना, या
- (vii) आपको अपना वेतन पारिश्रामिक उपभोग करने को अनुज्ञात न करना,
- (viii) जिस घर में आप रह रहें हो उससे बाहर निकलने को मजबूर करना,
- (ix) घर के किसी भाग में जाने या उपभोग करने से आपको रोकना,
- (x) साधारण घरेलू उपयोग के कपड़ों, वस्तुओं या चीजों के इस्तेमाल से अनुज्ञात न करना,
- (xi) यदि किराए के आवास में रह रहे हों तो किराए इत्यादि का संदाय नहीं करना ।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा जिसके साथ एक ही घर में आप रह रही हैं/थीं, आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा की जाती है तो आप उस व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित सभी या कोई एक आदेश प्राप्त कर सकती हैं —

(क) धारा 18 के अधीन :

- (i) आपके या आपके बालकों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का किसी और कार्य को करने से रोकने के लिए;
- (ii) आपके स्त्रीधन, आभूषण, कपड़े इत्यादि का कब्जा देने के लिए ;
- (iii) न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खातों या लॉकरों का प्रचालन न करने के लिए ।

(ख) धारा 19 के अधीन :

- (i) आपको उस घर में शांतिपूर्वक निवास करने से नहीं रोकने के लिए जहाँ आप व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं ;
- (ii) आपके शान्तिपूर्ण निवास में व्यवधान या बाधा नहीं डालने के लिए ;
- (iii) जिस घर में आप रह रहे हैं उसका व्ययन न करने के लिए ;
- (iv) यदि आपका निवास किराए की संपत्ति में है तो किराए के संदाय का सुनिश्चय करने के लिए या ऐसे किसी समुचित वैकल्पिक निवास की व्यवस्था का प्रस्ताव करने के लिए जो आपको वैसी ही सुख्खा और सुविधाएं दे जो आपके पहले के निवास में थीं ।
- (v) न्यायालय के अनुज्ञा के बिना उस संपत्ति के अधिकार नहीं देने के लिए जिसमें आप रह रही हैं ।
- (vi) जिस घर/ संपत्ति में आप रह रही हैं पर कोई ऋण नहीं लेने के लिए या संपत्ति को अन्तर्वलित करते हुए बंधक या कोई अन्य वित्तीय दायित्व सृजन न करने के लिए ।
- (vii) व्यक्ति/व्यक्तियों से आपकी सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए निम्नलिखित कोई आदेश या सभी आदेश करना—

(ग) साधारण आदेश

- (i) शिकायत /रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा को रोकने के लिए ।
- (घ) विशेष आदेश**
- (i) आपके निवास या कार्य स्थल से स्वयं को हटाने / दूर रखने के लिए ;
- (ii) आपसे मिलने से किसी प्रयास को रोकने के लिए ;
- (iii) आपको फोन करने या आप से पत्र, ई-मेल इत्यादि के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के प्रयास को रोकने के लिए ;
- (iv) आप से विवाह के संबंध में बात करने से या उसकी / उनकी पसन्द के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह के लिए मिलने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए ;
- (v) आपके बालक/बालकों के विद्यालय से या किसी अन्य स्थान से जहाँ आप और आपके बालक जाते हैं, से दूर रहने के लिए ।
- (vi) आग्नेयस्त्रों, या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ के कब्जे के समर्पण के लिए ।
- (vii) किन्हीं आग्नेयस्त्रों, या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ को अर्जित नहीं करने या वैसी ही किसी वस्तु का कब्जा न रखने के लिए ।
- (viii) एल्कोहाल या उसके समान प्रभाव वाली ऐसी ओषधियों का सेवन नहीं करना जिनसे पूर्व में घरेलू हिंसा हुई हो ।
- (ix) आपकी या आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपाय करने के लिए ।

(ड) धारा 20 और धारा 22 के अधीन अन्तरिम धनीय अनुतोष के लिए कोई आदेश जिसमें निम्नलिखित भी है--

- (i) आपके या आपके बच्चों के भरण पोषण करने के लिए ।
- (ii) चिकित्सीय व्यय सहित किसी शारीरिक क्षति के लिए प्रतिकर ।
- (iii) मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर ।
- (iv) जीविका की क्षति के लिए प्रतिकर ।
- (v) आपके कब्जे या नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति के विनाश, नुकसान, हटाना कारित करने के लिए प्रतिकर ।

टिप्पण 1--जैसे ही आप घरेलू हिंसा की शिकायत करती हैं और किसी अनुतोष के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करती हैं तो अन्तरिम आधार पर कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकेगा ।

II. अधिनियम के अधीन प्ररूप 1 में की गई घरेलू हिंसा की कोई शिकायत "घरेलू घटना रिपोर्ट" के नाम से ज्ञात होगी ।

4. यदि आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं तो आपके निम्नलिखित अधिकार होंगे :--

(i) धारा 5 के अधीन उन अधिकारों और अनुतोष के बारे में जानने में, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता, जो आप प्राप्त कर सकती हैं ।

(ii) संरक्षण अधिकारी की सहायता और सेवा प्रदाता या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की आपकी शिकायत दर्ज करने सहायता करने और धारा 9 और धारा 10 के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन करने में सहायता करना ।

(iii) धारा 18 के अधीन घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और स्वयं के बालकों के लिए संरक्षण प्राप्त करना ।

(iv) आपका विशिष्ट खतरों या असुरक्षाओं जिनका आप या आपके बालक सामना कर रहे हैं से संरक्षण के लिए उपाय और आदेश प्राप्त करने का अधिकार ।

(v) धारा 19 के अधीन उस घर में रहने जहां आप घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं और उसी घर में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप में अवरोध करने और घर तथा उसमें अन्तर्विष्ट प्रसुविधाओं का शांतिपूर्वक उपभोग करने का आपके और आपके बच्चों का अधिकार ।

(vi) धारा 18 के अधीन आपके स्त्री धन, आभूषण कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य घरेलू चीजों को वापस कब्जे में लेना ।

(vii) धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 14 के अधीन चिकित्सीय सहायता, आश्रय, परामर्श और विधिक सहायता प्राप्त करना ।

(viii) धारा 18 के अधीन आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को आप से संपर्क करने या पत्र व्यवहार करने से रोकने ।

(ix) धारा 22 के अधीन घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी शारीरिक या मानसिक क्षति या किसी अन्य धनीय नुकसान के लिए प्रतिकर ।

(x) अधिनियम की धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन शिकायत करने या किसी न्यायालय को सीधे ही अनुतोष के लिए आवेदन करना ।

(xi) आपके द्वारा की गई शिकायत, आवेदनों, किसी चिकित्सा या अन्य परीक्षण की रिपोर्ट जो आप या आपके बालक करवाते हैं, की प्रतियां प्राप्त करना ।

(xii) घरेलू हिंसा के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कथन की प्रतियां लेना ।

(xiii) किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना ।

5. प्रत्येक उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि सभी रजिस्ट्रीकृत सेवाप्रदाताओं के ब्योरे, निम्नलिखित उपबंधित रीति और स्थान में दर्ज कर लिए गए हैं । क्षेत्र के सेवाप्रदाओं की सूची निम्नलिखित है ।

संगठन का नाम	प्रदान की गई सेवा	संपर्क के ब्योरे

यदि आवश्यक हो, सूची को एक पृथक पृष्ठ पर जारी रखें ।

प्रारूप 5

[नियम 8(1) (iv) देखें]

सुरक्षा योजना

- जब कोई संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य सेवा प्रदाता इस प्रारूप में ब्यौरे उपलब्ध करने में किसी स्त्री की सहायता कर रहा हो, तो स्तंभ ग और स्तंभ घ में ब्यौरे, यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा परिवारिणी के परामर्श से और उसकी सम्मति से भरे जाने हैं।
- व्यथित व्यक्ति के सीधे न्यायालय पहुंचने के मामले में स्तंभ ग और स्तंभ घ में ब्यौरे स्वयं उपलब्ध करा सकेगा।
- यदि व्यथित व्यक्ति स्तंभ ग और स्तंभ घ खाली छोड़ता है और सीधे न्यायालय पहुंचता है, तो उक्त स्तंभ में ब्यौरे न्यायालय को संरक्षण अधिकारी द्वारा परिवारिणी के परामर्श से और उसकी सम्मति से, उपलब्ध कराए जाएंगे।

क्र.सं.	क		ख	ग	घ	ङ
	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के संबंध में आशंकाएं	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश	
1.	प्रत्यर्थी द्वारा शारीरिक हिंसा करना	परियादिनी का बोध कि उसे और उसके बच्चों को शारीरिक हिंसा दोहराए जाने का जोखिम है।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।			

	क	ख	ग	घ	ङ
2.	दुर्यवहार अपमान या तिरस्कार अन्यथा आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई लैंगिक कृत्य ।	(क) अवसाद । (ख) ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति का जोखिम । (ग) ऐसे कृत्य का रति करने के लिए प्रयत्नों का सामना करना ।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
3.	गला घोटने के प्रयत्न करना	(क) शारीरिक क्षति (ख) रुग्ण मानसिक स्वास्थ्य (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) पुनरावृत्ति (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
4.	बालकों से मास्पीट करना	(क) बालकों को क्षति (ख) बालकों पर उसका विपरीत मानसिक प्रभाव (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) पुनरावृत्ति का जोखिम (ख) बालक पर हिंसक व्यवहार/ वातावरण का विपरीत प्रभाव ।		
5.	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने की धमकी देना ।	(क) घर में हिंसक वातावरण (ख) सुखा को भय (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) आत्महत्या करने का वास्तविक प्रयास (ख) पुनरावृत्ति (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
6.	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न करना ।	(क) घर में हिंसक वातावरण (ख) असुखा, चिंता, अवसाद, मानसिक आघात । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) आत्महत्या के प्रयत्न की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ाना । (ख) मानसिक आघात, पीड़ा		

			(ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		
7.	परिवारिणी से और मानवैज्ञानिक भावनात्मक दुर्यवहार जैसे अपमान करना, उपहास करना, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, असलीत्व के मिथ्या आरोप लगाना आदि ।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा । (ग) बालक/ बालकों के लिए अनुपयुक्त वातावरण । (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।	(क) दुर्यवहार की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ाना । (ख) मानसिक आघात पीड़ा । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		
8.	व्यथित व्यक्ति/ उसके बालकों/ माता-पिता/ नातेदारों को अपहानि करने का मौखिक धमकी देना ।	(क) लगातार भय में रहना । (ख) मानसिक आघात, पीड़ा । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।	(क) प्रत्यर्थी चर्णित धमकियों को निष्पादित कर सकता है । (ख) मानसिक आघात, पीड़ा । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		
9.	विद्यालय/ महाविद्यालय/ किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में उपस्थित न होने के लिए मजबूर करना ।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आघात पीड़ा । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		
10.	विवाह के लिए मजबूर करना जब वह विवाह न करना चाहती हो । पसंद के व्यक्ति से विवाह न	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा । (ग) बलपूर्वक विवाह किए	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आघात पीड़ा । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट		

क	ख	ग	घ	ङ
करने के लिए मजबूर करना । प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों की पसंद के व्यक्ति से विवाह के लिए मजबूर करना ।	जाने का भय । (घ) कोई अन्य विनिर्दिष्ट करे ।	करे ।		
11. बालक/ बालकों के व्यपहरण की धमकी देना	(क) लगातार भय में रहना । (ख) बालक/ बालकों की सुरक्षा को भय । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।	(क) बालकों का व्यपहरण हो सकता है । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		
12. व्यथित व्यक्ति/ बालकों/ नातेदारों को वास्तविक अपहानि करना ।	(क) और अपहानि के लगातार भय में रहना । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		
13. पदार्थ (मादक द्रव्य/ अल्कोहल) का दुरुपयोग करना	(क) पदार्थ दुरुपयोग के कारण प्रत्यर्थी द्वारा गाली गलौज और हिंसक व्यवहार के लगातार भय में रहना । (ख) सामान्य जीवन जीने से वंचित होना । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।	(क) उपभोग करने के पश्चात् शारीरिक हिंसा । (ख) इसका उपयोग करने के पश्चात् अपमानजनक व्यवहार । (ग) रखरखाव/ घरेलू व्यर्थों का संदाय न करना । (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे ।		

14.	आपराधिक व्यवहार का इतिहास ।	(क) हिंसा का लगातार भय । (ख) प्रत्यर्थी द्वारा बदले का भय ।	(क) प्रत्यर्थी विधि का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति स्वता हो और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित आदेश की अवज्ञा का संभावना । (ख) प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति/ बालकों को कोई और कार्यवाही द्वारा अपहानि पहुंचा सकता है ।		
15.	स्वस्वाव, भोजन, कपड़े, दवाईयों आदि के लिए धन प्रदान न करना ।	(क) आवासपन और निराश्रयता की ओर प्रवृत्ति । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) उसके बालक/ बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
16.	रोजगार करने से शैकन, विक्षुब्ध करना या उसके लिए अनुज्ञात न करना ।	(क) स्वयं की तथा अपने बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होना । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) उसके बालक/ बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		

	क	ख	ग	घ	ङ
17.	गृह से बलपूर्वक निकालना, गृह में प्रवेश करने या गृह के किसी भाग का प्रयोग करने से रोकना या उसे छोड़ने से निवारित करना ।	(क) स्वयं और अपने बालकों के उहरे के लिए कोई स्थान न होना । (ख) गृह के किसी विशेष क्षेत्र तक निर्बन्धित ।	(क) उसके बालक/बालक तथा उसकी स्वयं की सुरक्षा । (ख) उसको स्वयं को तथा उसके बालकों को शरण प्रदान करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
18.	कपड़ों, साधारण घरेलू उपयोग की वस्तुओं या चीजों का प्रयोग अनुज्ञात न करना ।	(क) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का कब्जा खोना । (ख) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों को बदलने के लिए संसाधन न होना ।	(क) प्रत्यर्थी द्वारा कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का निपटान किया जा सकता है । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
19.	किराए के आवास के मामले में किराए का संदाय न करना ।	(क) ऐसे संदाय न करने पर स्वामी द्वारा आवास छोड़ने के लिए कहा जाना । (ख) रहने के लिए कोई वैकल्पिक आवास न होना (ग) आवास का किराया देने के लिए आय न होना ।	(क) आश्रय खोना । (ख) अत्यधिक कठिनाई का सामना करना । (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
20.	सूचित किए बिना या सम्मति के बिना स्त्रीधन	(क) मूल्यवान् वस्तुओं या संपत्ति को नुकसान ।	(क) मूल्यवान् वस्तु या स्त्रीधन का निपटान		

	या कोई अन्य मूल्यवान् वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना ।	(ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।		
21.	स्त्रीघन से बेकब्जा करना ।	(क) उसके कब्जे में संपत्ति से उसे वंचित करना । (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें ।	(क) स्त्रीघन का निपटान प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है । (ख) स्त्रीघन को पुनः कभी न प्राप्त करने का भय ।		
22.	सिविल/ दंडिक न्यायालय आदेश, विनिर्दिष्ट आदेश को भंग करना ।	कृपया विनिर्दिष्ट करें ।	कृपया विनिर्दिष्ट करें ।		

हस्ताक्षर

पीडित व्यक्ति

हस्ताक्षर

सेवा प्रदाता/ संरक्षण अधिकारी /
पुलिस अधिकारी

प्ररूप 6
(नियम 11 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

1.	आवेदक का नाम		
2.	टेलीफोन नं. ई - मेल पता यदि कोई है, सहित पता		
3.	दी जा रही सेवाएं		• आश्रय • मनश्चिकित्सीय परामर्श • कौटुम्बिक परामर्श • व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र • चिकित्सीय सहायता • चेतना कार्यक्रम • ऐसे व्यक्तियों के समूह को परामर्श देना जो कि घरेलू हिंसा और कौटुम्बिक विवादों के शिकार हैं। • कोई अन्य सेवा, विनिर्दिष्ट करें।
4.	ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या ;		
5.	क्या आपकी संस्था में अपेक्षित सेवाएं दी जाने के लिए कतिपय न्यूनतम कानूनी व्यावसायिक अर्हताएं आवश्यक हैं ? यदि हां, तो कृपया उन्हें विनिर्दिष्ट करें और उनके ब्यौरे दें।		
6.	क्या व्यक्तियों के नामों की सूची और उनकी हैसियत जिसमें वे कार्य कर रहे हैं और उनकी व्यावसायिक अर्हताएं संलग्न हैं ?		• हां • नहीं
7.	वह अवधि जिसके लिए सेवाएं दी जा रही हैं		• 3 वर्ष • 4 वर्ष • 5 वर्ष • 6 वर्ष • 6 वर्ष से अधिक
8.	क्या किसी विधि/विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है		• हां • नहीं
	यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखें		•
9.	क्या किसी विनियमित निकाय या विधि द्वारा विहित अपेक्षाएं पूरी की गई हैं ?		

	यदि हां तो विनियमित निकाय का नाम और पता :		
	टिप्पण: आश्रय गृह की दशा में, स्तंभ 10 से 18 के अधीन ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आश्रय गृह का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रविष्ट किए जाएंगे।		
10.	क्या आश्रय गृह में बर्बाद स्थान है		• हां • नहीं
11.	पूर्ण परिसर का मापक क्षेत्र		
12.	कमरों की संख्या		
13.	कमरों का क्षेत्र		
14.	उपलब्ध करवाई गई सुरक्षा प्रबंधन के ब्यौरे		
15.	क्या पिछले 3 वर्ष में अंतःनिवासियों के उपयोग के लिए काम करने वाला टेलीफोन कनेक्शन के अनुक्षण का अभिलेख उपलब्ध है।		
16.	निकटतम ओषधालय/क्लीनिक/चिकित्सा प्रसुविधा की दूरी		
17.	क्या किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नियमित निरीक्षण के लिए कोई व्यवस्था की गई है		• हां • नहीं
	यदि हां तो चिकित्सा व्यवसायी का नाम		
	पता :		
	संपर्क नंबर		
	अर्हता		
	विशेषज्ञता		
18.	कोई अन्य उपलब्ध प्रसुविधा, विनिर्दिष्ट करें		
	टिप्पण : परामर्श केन्द्र की दशा में स्तंभ 19 से 25 के अधीन ब्यौरे, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् प्रविष्ट किए जाएंगे।		
19.	केन्द्र में परामर्श दाताओं की संख्या		

24. (क) दी गई परामर्श का प्रकार

- समर्थनकारी आमने-सामने परामर्श देना
- संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार प्रक्रिया (सी.बी.टी.) (एक प्रकार की मानसिक उपचार प्रक्रिया है जिसका व्यक्ति स्मरण, तर्क, समझने, समस्याओं का समाधान करने और विषयों को समझने के लिए प्रयोग करता है)
- पीड़ित व्यक्तियों के किसी समूह को परामर्श देना
- कौटुंबिक परामर्श

(ख) उपलब्ध कराई गई प्रसुविधाएं

- व्यक्तिगत वृत्तिक और गोपनीय परामर्श सत्र आहुत करना
- समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और मनोविकारों को व्यक्त करने के लिए एक भय रहित वातावरण
- परामर्श सेवाओं, सहायक समूहों और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के संसाधनों पर सूचना देना
- आमने - सामने बैठकर परामर्श देना और समूह कार्य करना
- उपचार, परामर्श देना और स्वास्थ्य संबंधी सहायता
- कोई अन्य प्रसुविधा, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ग) कोई अन्य सेवा

(1) उपलब्ध सेवाएं

(2) नियुक्त कार्मिक

(3) ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैधानिक न्यूनतम कानूनी अर्हताएं

(4) सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए कार्मिकों के नामों की सूची उनके व्यवसायिक अर्हताओं के साथ संलग्न हैं।

• हाँ

• नहीं

(5) अन्य व्यौरे, जो रजिस्ट्रीकरण का इच्छुक सेवा प्रदाता है, दें ।

.....यदि आवश्यक हो तो इसे पृथक पृष्ठ पर जारी रखें ।

प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर
पदनाम

(मुद्रा)

स्थान :

तारीख :

प्ररूप 7
(नियम 11 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) के अधीन हाजिर हाने के लिए सूचना

न्यायालय.....

पुलिस थाना.....

मामले में :

सु श्री.....

परिवादी

बनाम

सुश्री.....

प्रत्यर्थी

प्रेषिती

श्री.....

पुत्र श्री.....

निवासी.....

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धाराके अधीन आवेदन फाइल किया है/किए हैं ;

आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गए अनुतोष (अनुतोषों) को आपके विरुद्ध प्रदान कर दिया जाए व्यक्तिगत रूप से या इस न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत काउंसिल के माफत तारीख.....मास.....200.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है, इसमें असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा ।

मेरे हस्ताक्षर और.....न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख.....को दी गई ।

न्यायालय की मुद्रा

हस्ताक्षर

[फा. सं. 19-3/2005-डब्लू डब्लू]
पारुल देवी दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2006

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the 26th day of October, 2006.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005);

(b) "complaint" means any allegation made orally or in writing by any person to the Protection Officer;

(c) "Counsellor" means a member of a service provider competent to give counselling under sub-section (1) of section 14;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Qualifications and experience of Protection Officers.— (1) The Protection Officers appointed by the State Government may be of the Government or members of non-governmental organizations:

Provided that preference shall be given to women.

(2) Every person appointed as Protection Officer under the Act shall have at least three years experience in social sector.

(3) The tenure of a Protection Officer shall be a minimum period of three years.

(4) The State Government shall provide necessary office assistance to the Protection Officer for the efficient discharge of his or her functions under the Act and these rules.

4. Information to Protection Officers.— (1) Any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been, or is being, or is likely to be committed may give information about it to the Protection Officer having jurisdiction in the area either orally or in writing.

(2) In case the information is given to the Protection Officer under sub-rule (1) orally, he or she shall cause it to be reduced to in writing and shall ensure that the same is signed by the person giving such information and in case the informant is not in a position to furnish written information the Protection Officer shall satisfy and keep a record of the identity of the person giving such information.

(3) The Protection Officer shall give a copy of the information recorded by him immediately to the informant free of cost.

5. Domestic incident reports.— (1) Upon receipt of a complaint of domestic violence, the Protection Officer shall prepare a domestic incident report in Form I and submit the same to the Magistrate and forward copies thereof to the police officer in charge of the police station within the local limits of jurisdiction of which the domestic violence alleged to have been committed has taken place and to the service providers in that area.

(2) Upon a request of any aggrieved person, a service provider may record a domestic incident report in Form I and forward a copy thereof to the Magistrate and the Protection Officer having jurisdiction in the area where the domestic violence is alleged to have taken place.

6. Applications to the Magistrate.— (1) Every application of the aggrieved person under section 12 shall be in Form II or as nearly as possible thereto.

(2) An aggrieved person may seek the assistance of the Protection Officer in preparing her application under sub-rule (1) and forwarding the same to the concerned Magistrate.

(3) In case the aggrieved person is illiterate, the Protection Officer shall read over the application and explain to her the contents thereof.

(4) The affidavit to be filed under sub-section (2) of section 23 shall be filed in **Form III**.

(5) The applications under section 12 shall be dealt with and the orders enforced in the same manner laid down under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

7. Affidavit for obtaining *ex-parte* orders of Magistrate.— Every affidavit for obtaining *ex-parte* order under sub-section (2) of section 23 shall be filed in **Form III**.

8. Duties and functions of Protection Officers.— (1) It shall be the duty of the Protection Officer —

- (i) to assist the aggrieved person in making a complaint under the Act, if the aggrieved person so desires;
- (ii) to provide her information on the rights of aggrieved persons under the Act as given in **Form IV** which shall be in English or in a vernacular local language;
- (iii) to assist the person in making any application under section 12, or sub-section (2) of section 23 or any other provision of the Act or the rules made thereunder;
- (iv) to prepare a “Safety Plan” including measures to prevent further domestic violence to the aggrieved person, in consultation with the aggrieved person in **Form V**, after making an assessment of the dangers involved in the situation and on an application being moved under section 12;
- (v) to provide legal aid to the aggrieved person, through the State Legal Aid Services Authority;

- (vi) to assist the aggrieved person and any child in obtaining medical aid at a medical facility including providing transportation to get the medical facility;
- (vii) to assist in obtaining transportation for the aggrieved person and any child to the shelter;
- (viii) to inform the service providers registered under the Act that their services may be required in the proceedings under the Act and to invite applications from service providers seeking particulars of their members to be appointed as Counsellors in proceedings under the Act under sub-section (1) of section 14 or Welfare Experts under section 15;
- (ix) to scrutinise the applications for appointment as Counsellors and forward a list of available Counsellors to the Magistrate;
- (x) to revise once in three years the list of available Counsellors by inviting fresh applications and forward a revised list of Counsellors on the basis thereof to the concerned Magistrate;
- (xi) to maintain a record and copies of the report and documents forwarded under sections 9, 12, 20, 21, 22, 23 or any other provisions of the Act or these rules;
- (xii) to provide all possible assistance to the aggrieved person and the children to ensure that the aggrieved person is not victimized or pressurized as a consequence of reporting the incidence of domestic violence;
- (xiii) to liaise between the aggrieved person or persons, police and service provider in the manner provided under the Act and these rules;
- (xiv) to maintain proper records of the service providers, medical facility and shelter homes in the area of his jurisdiction.

(2) In addition to the duties and functions assigned to a Protection Officer under clauses (a) to (h) of sub-section (1) of section 9, it shall be the duty of every Protection Officer—

(a) to protect the aggrieved persons from domestic violence, in accordance with the provisions of the Act and these rules;

(b) to take all reasonable measures to prevent recurrence of domestic violence against the aggrieved person, in accordance with the provisions of the Act and these rules.

9. Action to be taken in cases of emergency.— If the Protection Officer or a service provider receives reliable information through e-mail or a telephone call or the like either from the aggrieved person or from any person who has reason to believe that an act of domestic violence is being or is likely to be committed and in a such an emergency situation, the Protection Officer or the service provider, as the case may be, shall seek immediate assistance of the police who shall accompany the Protection Officer or the service provider, as the case may be, to the place of occurrence and record the domestic incident report and present the same to the Magistrate without any delay for seeking appropriate orders under the Act.

10. Certain other duties of the Protection Officers.— (1) The Protection Officer, if directed to do so in writing, by the Magistrate shall—

(a) conduct a home visit of the shared household premises and make preliminary enquiry if the court requires clarification, in regard to granting *ex-parte* interim relief to the aggrieved person under the Act and pass an order for such home visit;

(b) after making appropriate inquiry, file a report on the emoluments, assets, bank accounts or any other documents as may be directed by the court;

(c) restore the possession of the personal effects including gifts and jewellery of the aggrieved person and the shared household to the aggrieved person;

(d) assist the aggrieved person to regain custody of children and secure rights to visit them under his supervision as may be directed by the court.

(e) assist the court in enforcement of orders in the proceedings under the Act in the manner directed by the Magistrate, including orders under section 12, section 18, section 19, section 20, section 21 or section 23 in such manner as may be directed by the court.

(f) take the assistance of the police, if required, in confiscating any weapon involved in the alleged domestic violence.

(2) The Protection Officer shall also perform such other duties as may be assigned to him by the State Government or the Magistrate in giving effect to the provisions of the Act and these rules from time to time.

(3) The Magistrate may, in addition to the orders for effective relief in any case, also issue directions relating general practice for better handling of the cases, to the Protection Officers within his jurisdiction and the Protection Officers shall be bound to carry out the same.

11. Registration of service providers.— (1) Any voluntary association registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for time being in force with the objective of protecting the rights and interests of women by any lawful means including providing of legal aid, medical, financial or other assistance and desirous of providing service as a service provider under the Act shall make an application under sub-section (1) of section 10 for registration as service provider in Form VI to the State Government.

(2) The State Government shall, after making such enquiry as it may consider necessary and after satisfying itself about the suitability of the applicant, register it as a service provider and issue a certificate of such registration:

Provided that no such application shall be rejected without giving the applicant an opportunity of being heard.

(3) Every association or company seeking registration under sub-section (1) of section 10 shall possess the following eligibility criteria, namely:—

(a) It should have been rendering the kind of services it is offering under the Act for at least three years before the date of application for registration under the Act and these rules as a service provider.

(b) In case an applicant for registration is running a medical facility, or a psychiatric counseling centre, or a vocational training institution, the State Government shall ensure that the applicant fulfils the requirements for running such a facility or institution laid down by the respective regulatory authorities regulating the respective professions or institutions.

(c) In case an applicant for registration is running a shelter home, the State Government shall, through an officer or any authority or agency authorised by it, inspect the shelter home, prepare a report and record its finding on the report, detailing that –

(i) the maximum capacity of such shelter home for intake of persons seeking shelter;

(ii) the place is secure for running a shelter home for women and that adequate security arrangements can be put in place for the shelter home;

(iii) the shelter home has a record of maintaining a functional telephone connection or other communication media for the use of the inmates;

(3) The State Government shall provide a list of service providers in the various localities to the concerned Protection Officers and also publish such list of newspapers or on its website.

(4) The Protection Officer shall maintain proper records by way of maintenance of registers duly indexed, containing the details of the service providers.

12. Means of service of notices. – (1) The notices for appearance in respect of the proceedings under the Act shall contain the names of the person alleged to have committed

domestic violence, the nature of domestic violence and such other details which may facilitate the identification of person concerned.

(2) The service of notices shall be made in the following manner, namely: —

(a) The notices in respect of the proceedings under the Act shall be served by the Protection Officer or any other person directed by him to serve the notice, on behalf of the Protection Officer, at the address where the respondent is stated to be ordinarily residing in India by the complainant or aggrieved person or where the respondent is stated to be gainfully employed by the complainant or aggrieved person, as the case may be.

(b) The notice shall be delivered to any person in charge of such place at the moment and in case of such delivery not being possible it shall be pasted at a conspicuous place on the premises.

(c) For serving the notices under section 13 or any other provision of the Act, the provisions under Order V of the Civil Procedure Code, 1908 (5 of 1908) or the provisions under Chapter VI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) as far as practicable may be adopted.

(d) Any order passed for such service of notices shall entail the same consequences, as an order passed under Order V of the Civil Procedure Code, 1908 or Chapter VI of the Code of Criminal Procedure, 1973 respectively, depending upon the procedure found efficacious for making an order for such service under section 13 or any other provision of the Act and in addition to the procedure prescribed under the Order V or Chapter VI, the court may direct any other steps necessary with a view to expediting the proceedings to adhere to the time limit provided in the Act

(3) On a statement on the date fixed for appearance of the respondent, or a report of the person authorized to serve the notices under the Act, that service has been effected appropriate orders shall be passed by the court on any pending application for interim relief, after hearing the complainant or the respondent, or both.

(4) When a protection order is passed restraining the respondent from entering the shared household or the respondent is ordered to stay away or not to contact the petitioner, no action of the aggrieved person including an invitation by the aggrieved person shall be considered as waiving the restraint imposed on the respondent, by the order of the court, unless such protection order is duly modified in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 25.

13. Appointment of Counselors.— (1) A person from the list of available Counsellors forwarded by the Protection Officer, shall be appointed as a Counsellor, under intimation to the aggrieved person.

(2) The following persons shall not be eligible to be appointed as Counselors in any proceedings, namely:—

(i) any person who is interested or connected with the subject matter of the dispute or is related to any one of the parties or to those who represent them unless such objection is waived by all the parties in writing.

(ii) any legal practitioner who has appeared for the respondent in the case or any other suit or proceedings connected therewith.

(3) The Counsellors shall as far as possible be women.

14. Procedure to be followed by Counsellors.— (1) The Counsellor shall work under the general supervision of the court or the Protection Officer or both:

(2) The Counsellor shall convene a meeting at a place convenient to the aggrieved person or both the parties.

(3) The factors warranting counselling shall include the factor that the respondent shall furnish an undertaking that he would refrain from causing such domestic violence as complained by the complainant and in appropriate cases an undertaking that he will not try to meet, or communicate in any manner through letter or telephone, electronic mail or through

any medium except in the counselling proceedings before the counselor or as permissibly by law or order of a court of competent jurisdiction.

(4) The Counsellor shall conduct the counseling proceedings bearing in mind that that the counseling shall be in the nature of getting an assurance, that the incidence of domestic violence shall not get repeated.

(5) The respondent shall not be allowed to plead any counter justification for the alleged act of domestic violence in counseling the fact that and any justification for the act of domestic violence by the respondent is not allowed to be a part of the Counselling proceeding should be made known to the respondent, before the proceedings begin.

(6) The respondent shall furnish an undertaking to the Counsellor that he would refrain from causing such domestic violence as complained by the aggrieved person and in appropriate cases an undertaking that he will not try to meet, or communicate in any manner through letter or telephone, e-mail, or through any other medium except in the counseling proceedings before the Counsellor.

(7) If the aggrieved person so desires, the Counsellor shall make efforts of arriving at a settlement of the matter.

(8) The limited scope of the efforts of the Counsellor shall be to arrive at the understanding of the grievances of the aggrieved person and the best possible redressal of her grievances and the efforts shall be to focus on evolving remedies or measures for such redressal.

(9) The Counsellor shall strive to arrive at a settlement of the dispute by suggesting measures for redressal of grievances of the aggrieved person by taking into account the measures or remedies suggested by the parties for counseling and reformulating the terms for the settlement, wherever required.

(10) The Counsellor shall not be bound by the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Civil Procedure, 1908, or the Code of Criminal Procedure, 1973, and his action shall be guided by the principles of fairness and justice and aimed at finding way to bring an end to domestic violence to the satisfaction of the aggrieved person and in making such an effort the Counselor shall give due regard to the wishes and sensibilities of the aggrieved person.

(11) The Counsellor shall submit his report to the Magistrate as expeditiously as possible for appropriate action.

(12) In the event the Counsellor arrives at a resolution of the dispute, he shall record the terms of settlement and get the same endorsed by the parties.

(13) The court may, on being satisfied about the efficacy of the solution and after making a preliminary enquiry from the parties and after, recording reasons for such satisfaction, which may include undertaking by the respondents to refrain from repeating acts of domestic violence, admitted to have been committed by the respondents, accept the terms with or without conditions.

(14) The court shall, on being so satisfied with the report of counseling, pass an order, recording the terms of the settlement or an order modifying the terms of the settlement on being so requested by the aggrieved person, with the consent of the parties.

(15) In cases, where a settlement cannot be arrived at in the counselling proceedings, the Counsellor shall report the failure of such proceedings to the Court and the court shall proceed with the case in accordance with the provisions of the Act.

(16) The record of proceedings shall not be deemed to be material on record in the case on the basis of which any inference may be drawn or an order may be passed solely based on it.

(17) The Court shall pass an order under section 25, only after being satisfied that the application for such an order is not vitiated by force, fraud or coercion or any other factor and the reasons for such satisfaction shall be recorded in writing in the order, which may include any undertaking or surety given by the respondent.

15. Breach of Protection Orders.— (1) An aggrieved person may report a breach of protection order or an interim protection order to the Protection Officer.

(2) Every report referred to in sub-rule (1) shall be in writing by the informant and duly signed by her.

(3) The Protection Officer shall forward a copy of such complaint with a copy of the protection order of which a breach is alleged to have taken place to the concerned Magistrate for appropriate orders.

(4) The aggrieved person may, if she so desires, make a complaint of breach of protection order or interim protection order directly to the Magistrate or the Police, if she so chooses.

(5) If, at any time after a protection order has been breached, the aggrieved person seeks his assistance, the protection officer shall immediately rescue her by seeking help from the local police station and assist the aggrieved person to lodge a report to the local police authorities in appropriate cases.

(6) When charges are framed under section 31 or in respect of offences under section 498A of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), or any other offence not summarily triable, the Court may separate the proceedings for such offences to be tried in the manner prescribed under Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and proceed to summarily try the offence of the breach of Protection Order under section 31, in accordance with the provisions of Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(7) Any resistance to the enforcement of the orders of the Court under the Act by the respondent or any other person purportedly acting on his behalf shall be deemed to be a breach of protection order or an interim protection order covered under the Act.

(8) A breach of a protection order or an interim protection order shall immediately be reported to the local police station having territorial jurisdiction and shall be dealt with as a cognizable offence as provided under sections 31 and 32.

(9) While enlarging the person on bail arrested under the Act, the Court may, by order, impose the following conditions to protect the aggrieved person and to ensure the presence of the accused before the court, which may include—

(a) an order restraining the accused from threatening to commit or committing an act of domestic violence;

(b) an order preventing the accused from harassing, telephoning or making any contact with the aggrieved person;

(c) an order directing the accused to vacate and stay away from the residence of the aggrieved person or any place she is likely to visit;

(d) an order prohibiting the possession or use of firearm or any other dangerous weapon;

(e) an order prohibiting the consumption of alcohol or other drugs;

(f) any other order required for protection, safety and adequate relief to the aggrieved person.

16. Shelter to the aggrieved person.— (1) On a request being made by the aggrieved person, the Protection Officer or a service provider may make a request under section 6 to the person in charge of a shelter home in writing, clearly stating that the application is being made under section 6.

(2) When a Protection Officer makes a request referred to in sub-rule (1), it shall be accompanied by a copy of the domestic incident report registered, under section 9 or under section 10:

Provided that shelter home shall not refuse shelter to an aggrieved person under the Act, for her not having lodged a domestic incident report, prior to the making of request for shelter in the shelter home.

(3) If the aggrieved person so desires, the shelter home shall not disclose the identity of the aggrieved person in the shelter home or communicate the same to the person complained against.

17. Medical Facility to the aggrieved person.— (1) The aggrieved person or the Protection Officer or the service provider may make a request under section 7 to a person in charge of a medical facility in writing, clearly stating that the application is being made under section 7.

(2) When a Protection Officer makes such a request, it shall be accompanied by a copy of the domestic incident report:

Provided that the medical facility shall not refuse medical assistance to an aggrieved person under the Act, for her not having lodged a domestic incident report, prior to making a request for medical assistance or examination to the medical facility.

(3) If no domestic incident report has been made, the person-in-charge of the medical facility shall fill in Form I and forward the same to the local Protection Officer.

(4) The medical facility shall supply a copy of the medical examination report to the aggrieved person free of cost.

FORM I

[See rule 5(1) and (2) and 17(3)]

Domestic Incident Report under sections 9 (b) and 37 (2) (c) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005)**1. Details of the complainant/aggrieved person**

(1) Name of the complainant/aggrieved person:

(2) Age:

(3) Address of the shared household:

(4) Present Address:

(5) Phone Number, if any:

2. Details of Respondents:

S.No.	Name	Relationship with the aggrieved person	Address	Telephone No. if any.

3. Details of children, if any, of the aggrieved person:

(a) Number of Children:

(b) Details of children:

Name	Age	Sex	With whom at present residing

4. Incidents of domestic violence:

S.No.	Date, place and time of violence	Person who caused domestic violence	Types of violence	Remarks
			Physical violence	
			Causing hurt of any kind, please specify.	
(ii) Sexual violence				
Please tick mark [✓] the column applicable.				
			☐ Forced sexual intercourse. ☐ Forced to watch pornography or other obscene material ☐ Forcibly using you to entertain others ☐ Any other act of sexual nature, abusing, humiliating, degrading or otherwise violative of your dignity (please specify details in the space provided below):	

(ii) verbal and emotional abuse			
			☐ Accusation/aspersion on your character or conduct, etc. ☐ Insult for not bringing dowry, etc. ☐ Insult for not having a male child. ☐ Insult for not having any child ☐ Demeaning, humiliating or undermining remarks/statement ☐ Ridicule ☐ Name calling ☐ Forcing you to not attend school, college or any other educational institution. ☐ Preventing you from taking up a job ☐ Preventing you from leaving the House ☐ Preventing you from meeting any particular person ☐ Forcing you to get married against your will ☐ Preventing you from marrying a person of your choice ☐ Forcing you to marry a person of his/their own choice ☐ Any other verbal or emotional abuse (please specify in the space provided below)
(iii) Economic violence			
			☐ Not providing money for maintaining you or your children ☐ Not providing food, clothes, medicine, etc, for you or your children. ☐ Forcing you out of the house you live in. ☐ Preventing you from accessing or using any part of the house. ☐ Preventing or obstructing you from

			carrying on your employment. ☐ Not allowing you to take up an employment. ☐ Non-payment of rent in case of a rented accommodation ☐ Not allowing you to use clothes or articles of general household use. ☐ Selling or pawning your stridhan or any other valuables without informing you and without your consent. ☐ Forcibly taking away your salary, income or wages etc. ☐ Disposing your stridhan ☐ Non payment of other bills such as electricity, etc. ☐ Any other economic violence (please specify in the space provided below)	
(iv) Dowry related harassment				
			☐ Demands for dowry made, please specify: ☐ Any other detail with regard to dowry, please specify. Whether details of dowry items, stridhan, etc. attached with the form ☐ Yes ☐ No	
(v) any other information regarding acts of domestic violence against you or your children				

(Signature or thumb impression of the complainant/aggrieved person)

5. List of documents attached

Name of document	Date	Any other detail
Medico legal certificate		
Doctor's certificate or any other prescription		
List of Stridhan		
Any other document		

6. Order that you need under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

S.No.	Orders	Yes/No	Any other
(1)	Protection order under section 18		
(2)	Residence order under section 19		
(3)	Maintenance order under section 20		
(4)	Custody order under section 21		
(5)	Compensation order under section 22		
(6)	Any other order (specify)		

7. Assistance that you need

S.No.	Assistance available	Yes/No	Nature of assistance
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Counsellor		
(2)	Police assistance		
(3)	Assistance for initiating criminal proceedings		
(4)	Shelter home		
(5)	Medical facilities		
(6)	Legal aid		

8. Instruction for the Police officer assisting in registration of a Domestic Incident Report:

Wherever the information provided in this Form discloses an offence under the Indian Penal Code or any other law, the police officer shall-

- inform the aggrieved person that she can also initiate criminal proceedings by lodging a First Information Report under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973)
- if the aggrieved person does not want to initiate criminal proceedings, then make daily diary entry as per the information contained in the domestic incident report with a remark that the aggrieved person due to the intimate nature of the

relationship with the accused wants to pursue the civil remedies for protection against domestic violence and has requested that on the basis of the information received by her, the matter has been kept pending for appropriate enquiry before registration of an FIR.

- (c) if any physical injury or pain being reported by the aggrieved person, offer immediate medical assistance and get the aggrieved person medically examined.

Place:

(Counter signature of Protection Officer/Service provider)

Date:

Name:

Address:

(Seal)

Copy forwarded to:-

1. Local Police Station
2. Service Provider/Protection Officer
3. Aggrieved person
4. Magistrate

FORM II
[See rule 6(1)]

Application to the Magistrate under section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005)

To

The court of Magistrate

.....
.....
.....
.....

Application under section _____ of the
Protection of Women from Domestic Violence
Act, 2005 (43 of 2005)

SHOWETH:

1. That the application under section..... of Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is being filed alongwith a copy of Domestic Incident Report by the:-

(a) Aggrieved person ☐

(b) Protection Officer ☐

- (c) Any other person on ☐
 behalf of the aggrieved
 person
 (tick whichever is applicable) ☐

2. It is prayed that the Hon'ble court may take cognizance of the complaint/Domestic Incident Report and pass all/any of the orders, as deemed necessary in the circumstances of the case.

- (a) Pass protection orders under section 18 and /or
 (b) Pass residence orders under section 19 and /or
 (c) Direct the respondent to pay monetary relief under section 20 and /or
 (d) Pass orders under section 21 of the act and /or
 (e) Direct the respondent to grant compensation or damages under section 22 and /or
 (f) Pass such interim orders as the court deems just and proper;
 (g) Pass any orders as deems fit in the circumstances of the case.

3. Orders required:

(i) Protection Order under section 18

- ☐ Prohibiting acts of domestic violence by granting an injunction against the Respondent/s from repeating any of the acts mentioned in terms of column 4(a)/(b)/(c)/(d)/(e)/(f)/(g) of the application
☐ Prohibiting Respondent(s) from entering the school/college/workplace
☐ Prohibiting from stopping you from going to your place of employment
☐ Prohibiting Respondent(s) from entering the school/college/any other place of your children
☐ Prohibiting from stopping you from going to your school
☐ Prohibiting any form of communication by the Respondent with you
☐ Prohibiting alienation of assets by the Respondent
☐ Prohibiting operation of joint bank lockers/accounts by the Respondent and allowing the aggrieved person to operate the same
☐ Directing the Respondent to stay away from the dependants/relatives/any other person of the aggrieved person to prohibit violence against them
☐ Any other order, please specify

(ii) Residence Order under section 19

- ☐ An order restraining Respondent (s) from
☐ Dispossessing or throwing me out from the shared household
☐ Entering that portion of the shared household in which I reside
☐ Alienating/disposing/encumbering the shared household
☐ Renouncing his rights in the shared household
☐ An order entitling me continued access to my personal effects
☐ An order directing Respondent (s) to
☐
☐ Remove himself from the shared household
☐ Secure same level of alternate accommodation or pay rent for the same
☐ Any other order, please specify

(iii) Monetary reliefs under section 20

- ☐ Loss of earnings, Amount claimed

- ☐ Medical expenses, Amount claimed
- ☐ Loss due to destruction/damage or removal of property from the control of the aggrieved person,
Amount claimed
- ☐ Any other loss or physical or mental injury as specified in clause 10 (d)
Amount claimed
- ☐ Total amount claimed
- ☐ Any other order, please specify

(iv) Monetary reliefs under section 20

- ☐ Directing the Respondent to pay the following expenses as monetary relief:
- ☐ Food, clothes, medications and other basic necessities, Amount per month
- ☐ School fees and related expenses Amount per month
- ☐ Household expenses Amount per month
- ☐ Any other expenses Amount per month
- ☐ Any other order, please specify
- Total per month

(v) Custody Order under section 21

Direct the Respondent to hand over the custody of the child or children to the-

- ☐ Aggrieved Person ☐ Any other person on her behalf, details of such person

(vi) Compensation order under section 22

(vii) Any other order, please specify

4. Details of previous litigation, if any

- (a) ☐ Under the Indian Penal Code, Sections..... Pending in the court of
- ☐ Disposed off, details of relief
- (b) ☐ Under CrPC, Sections..... Pending in the court of
- ☐ Disposed off, details of relief
- (c) ☐ Under the Hindu Marriage Act, 1956, Sections..... Pending in the court of
- ☐ Disposed off, details of relief
- (d) ☐ Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, Sections..... Pending in the court of
- ☐ Disposed off, details of relief
- (e) ☐ Application for Maintenance, under section..... under Act
- Interim maintenance Rs. p.m.
- Maintenance granted Rs. p.m.

(f) ☐ Whether Respondent was sent to Judicial Custody

☐ For less than a week ☐ For less than a month

☐ For more than a month

Specify period _____

(g) Any other order _____

Prayer:

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court be pleased to grant the relief (s) claimed therein and pass such order or orders other order as this Hon'ble Court may deem fit and proper under the given facts and circumstances of the case for protecting the aggrieved person from domestic violence and in the interest of justice.

Place
Dated:

COMPLAINANT/AGGRIEVED PERSON
THROUGH

COUNSEL

VERIFICATION:

Verified at(place) on this day of that the contents of Paras 1 to 12 of the above application are true and correct to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Countersignature of Protection Officer with date.

Form III
[See rule 6(4) and 7]

AFFIDAVIT UNDER SECTION 23 (2) OF THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005

IN THE COURT OF.....; MM,

P/S:

IN THE MATTER OF:

Ms..... & Others

...COMPLAINANT

VERSUS

Mr..... & Others

...RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, W/o Mr. R/o D/o
Mr. R/o , presently residing
at do hereby solemnly affirm and
declare on oath as under:

1. That I am the Applicant in the accompanying Application
for filed for myself and for my daughter/son.
2. That I am the natural guardian of
3. That being conversant with the facts and circumstances of the case I
am competent to swear this affidavit.
4. That the Deponent had been living with the Respondent/s at
..... since to
5. That the details provided in the present Application for the grant
of relief under Section(s) have been entered into by
me/at my instructions.
6. That the contents of the application have been read over, explained
to me in English/Hindi/any other local language (Please
specify.....).
7. That the contents of the said application may be read as part of
this affidavit and are not repeated herein for the sake of brevity.

8. That the applicant apprehends repetition of the acts of domestic violence by the Respondent(s) against which relief is sought in the accompanying application.
9. That the Respondent has threatened the Applicant that.....
.....
.....
.....
10. That the reliefs claimed in the accompanying application are urgent in as much as the applicant would face great financial hardship and would be forced to live under threat of repetition/escalation of acts of domestic violence complained of in the accompanying application by the Respondent(s) if the said reliefs are not granted on an ex-parte ad-interim basis.
11. That the facts mentioned herein are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at on this day of 20..... That the contents of the above affidavit are correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Form IV
[See rule 8(1) (ii)]

Information on rights of aggrieved persons under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

If you are beaten up, threatened or harassed in your home by a person with whom you reside in the same house, then you are facing domestic violence. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, gives you the right to claim protection and assistance against domestic violence.

You can receive protection and assistance under the Act, if the person(s) with whom you are/were residing in the same house, commits any of the following acts of violence against you or a child in your care and custody -

1. Physical Violence:

For example-

- (i) Beating,
- (ii) Slapping,
- (iii) Hitting,
- (iv) Biting,
- (v) Kicking,
- (vi) Punching,
- (vii) Pushing,
- (viii) Shoving or
- (ix) Causing bodily pain or injury in any other manner.

2. Sexual Violence:

For example-

- (i) Forced sexual intercourse;
- (ii) Forces you to look at pornography or any other obscene pictures or material;
- (iii) Any act of sexual nature to abuse, humiliate or degrade you, or which is otherwise violative of your dignity or any other unwelcome conduct of sexual nature;
- (iv) Child sexual abuse

3. Verbal and Emotional Violence:

For example-

- (i) Insults;
- (ii) Name-calling;
- (iii) Accusations on your character or conduct etc.;
- (iv) Insults for not having a male child,
- (v) Insults for not bringing dowry etc.;
- (vi) Preventing you or a child in your custody from attending school, college or any other educational institution;

- (vii) Preventing you from taking up a job;
- (viii) Forcing you to leave your job;
- (ix) Preventing you or a child in your custody from leaving the house;
- (x) Preventing you from meeting any person in the normal course of events;
- (xi) Forcing you to get married when you do not want to marry;
- (xii) Preventing you from marrying a person of your own choice;
- (xiii) Forcing you to marry a particular person of his/their own choice;
- (xiv) Threat to commit suicide;
- (xv) Any other verbal or emotional abuse.

4. Economic Violence:

For example-

- (i) Not providing you money for maintaining you or your children,
- (ii) Not providing food, clothes, medicines etc. for you or your children,
- (iii) Stopping you from carrying on your employment or,
- (iv) Disturbing you in carrying on your employment,
- (v) Not allowing you to take up an employment or
- (vi) Taking away your income from your salary, wages etc. or
- (vii) Not allowing you to use your salary, wages etc.,
- (viii) Forcing you out of the house you live in,
- (ix) Stopping you from accessing or using any part of the house,
- (x) Not allowing use of clothes, articles or things of general household use,
- (xi) Not paying rent if staying in a rented accommodation, etc.

3. If an act of domestic violence is committed against you by a person/s with whom you are/were residing in the same house, you can get all or any of the following orders against the person(s)-

(a) Under section 18:

- (i) To stop committing any further acts of domestic violence on you or your children;
- (ii) To give you the possession of your stridhan, jewellery, clothes etc.
- (iii) Not to operate the joint bank accounts or lockers without permission of the court

(b) Under section 19:

- (i) Not to stop you from residing in the house where you were residing with the person/s;
- (ii) Not to disturb or interfere with your peaceful enjoyment of residence,
- (iii) Not to dispose off the house in which you are residing.
- (iv) If your residence is a rented property then either to ensure payment of rent or secure any other suitable alternative accommodation which offers you the same security and facilities as earlier residence.
- (v) Not to give up the rights in the property in which you are residing without the permission of the court.

- (vi) Not to take any loan against the house/property in which you are residing or mortgage it or create any other financial liability involving the property.
- (vii) Any or all of the following orders for your safety requiring the person/s to-

(c) General Order:

- (i) Stop the domestic violence complained/reported

(d) Special Orders:

- (i) Remove himself/stay away from your place of residence or workplace;
- (ii) Stop making any attempts to meet you,
- (iii) Stop calling you over phone or making any attempts to communicate with you by letter, e-mail etc.
- (iv) Stop talking to you about marriage or forcing you to meet a particular person of his/their choice for marriage;
- (v) Stay away from the school of your child/children, or any other place where you and your children visit;
- (vi) Surrender possession of firearms, any other weapon or any other dangerous substance
- (vii) Not to acquire possession of firearms, any other weapon or any other dangerous substance and not to be in possession of any similar article,
- (viii) Not to consume alcohol or drugs with similar effect which led to domestic violence in the past.
- (ix) Any other measure required for ensuring your or your children's safety.

(e) An order for interim monetary relief under sections 20 and 22 including –

- (i) Maintenance for you or your children,
- (ii) Compensation for physical injury including medical expenses,
- (iii) Compensation for mental torture and emotional distress,
- (iv) Compensation for loss of earning,
- (v) Compensation for loss caused by destruction, damage, removal of any property from your possession or control.

Note. – I. Any of the above relief can be granted on an interim basis, as soon as you make a complaint of domestic violence and present your application for any of the relief before the court.

II. A complaint of domestic violence made in Form I under the Act is called a "Domestic Incident Report")

4. If you are a victim of domestic violence, you have the following rights:

- (i) The assistance of a protection officer and service providers to inform you about your rights and the relief which you can get under the Act under section 5.

- (ii) The assistance of protection officer, service providers or the officer in charge of the nearest police station to assist you in registering your complaint and filing an application for relief under sections 9 and 10.
- (iii) To receive protection for you and your children from acts of domestic violence under section 18.
- (iv) You have right to measures and orders protecting you against the particular dangers or insecurities you or your child are facing.
- (v) To stay in the house where you suffered domestic violence and to seek restraint on other persons residing in the same house, from interfering with or disturbing peaceful enjoyment of the house and the amenities facilities therein, by you or your children under section 19.
- (vi) To regain possession of your stridhan, jewellery, clothes, articles of daily use and other house hold goods under section 18.
- (vii) To get medical assistance, shelter, counseling and legal aid under sections 6, 7, 9 and 14.
- (viii) To restrain the person committing domestic violence against you from contacting you or communicating with you in any manner under section 18.
- (ix) To get compensation for any physical or mental injury or any other monetary loss due to domestic violence under section 22.
- (x) To file complaint or applications for relief under the Act directly to the court under sections 12, 18, 19, 20, 21, 22 and 23.
- (xi) To get the copies of the complaint filed by you, applications made by you, reports of any medical or other examination that you or your child undergo.
- (xii) To get copies of any statements recorded by any authority in connection with Domestic Violence.
- (xiii) The assistance of the Protection Officer or the Police to rescue you from any danger.

5. The person providing the form should ensure that the details of all the registered service providers are entered in the manner and space provided below. The following is the list of service providers in the area:

Name of Organization	Service Provided	Contact Details

Continue the list on a separate sheet, if necessary.....

[See rule 8(1)(iv)]

SAFETY PLAN

1. When a Protection Officer, Police officer or any other service provider is assisting the woman in providing details in this form, then details in columns C and D are to be filled in by the Protection Officer, Police officer or any other service provider, as the case may be, in consultation with the complainant and with her consent.
2. The aggrieved person in case of approaching the court directly may herself provide details in columns C and D.
3. If the aggrieved person leaves columns C and D blank and approaches the court directly, then details in the said columns are to be provided by the Protection Officer to the court, in consultation with the complainant and with her consent.

Sl. No.	A Violence by the Respondent	B Consequences of violence mentioned in Column A suffered by the Aggrieved Person	C Apprehensions of the Aggrieved Person regarding violence mentioned in Column A	D Measures required for safety	E Orders sought from the court
1.	Physical violence by the Respondent	Complainant's perception that she and her children are at risk of repetition of physical violence	(a) Repetition (b) Escalation (c) Fear of injury (d) Any other, specify		
2.	Any sexual act abusing, humiliating or degrading, otherwise violative of your dignity	(a) Depression (b) At risk of repetition of such an act (c) Facing attempts to commit such acts	(a) Repetition (b) Escalation (c) Any other, specify		
3.	Attempts at strangulation	(a) Physical injury (b) Mental ill health (c) Any other, specify	(a) Repetition (b) Any other, specify		
4.	Beatings to the children	(a) Injury to the children (b) Adverse mental effect of the same on the children (c) Any other, specify	(a) Risk of repetition (b) Adverse effect of violent behaviour/environment on the child		

A	B	C	D	E
5. Threats to commit suicide by the Respondent	(a) Violent environment in the house (b) Threat to safety (c) Any other, specify	(a) Actually trying to commit the same (b) Repetition (c) Any other, specify		
6. Attempts to commit suicide by the Respondent	(a) Violent environment in the house (b) Insecurity, anxiety, depression, mental trauma (c) Any other, specify	(a) Repetition, escalation, aggravation of the same (b) Mental trauma, pain (c) Any other, specify		
7. Psychological & Emotional abuse of the Complainant i.e. insults, ridicule, name calling, insults for not having a male child, false accusations of unchastity, etc	(a) Depression (b) Mental trauma, pain (c) Unsuitable atmosphere for the child/children (d) Any other, specify	(a) Repetition, escalation, aggravation of the same (b) Mental trauma, pain (c) Any other, specify		
8. Making verbal threats to cause harm to the aggrieved person/her children/parents/relatives	(a) Living in constant fear (b) Mental trauma, pain (c) Any other, specify	(a) Respondent may carry out the mentioned threats (b) Mental trauma, pain (c) Any other, specify		
9. Forcing not to attend school/college/any other educational institution	(a) Depression (b) Mental trauma, pain (c) Any other, specify	(a) Repetition (b) Mental trauma, pain (c) Any other, specify		
10. Forcing to get married when do not want to/forcing not to marry a person of choice/forcing to marry a particular person of Respondent's choice	(a) Depression (b) Mental trauma, pain (c) Fear of being married forcibly (d) Any other	(a) Repetition (b) Mental trauma, pain (c) Any other		
11. Threatening to kidnap the child/children	(a) Living in constant fear (b) Threat to the child/children's safety (c) Any other, specify	(a) Children might be kidnapped (b) Any other, specify		

E

D

C

B

A

12.	Actually causing harm to the aggrieved person/children/relatives	(a) Living in constant fear of further harm (b) Any other, specify	(a) Repetition (b) Escalation (c) Fear of injury (d) Any other, specify		
13.	Substance abuse (drugs/alcohol)	(a) Living in constant fear of abusive and violent behaviour by the Respondent due to substance abuse (b) Deprived of leading a normal life (c) Any other, specify	(a) Physical violence after consuming the same (b) Abusive behaviour after consuming the same (c) Non payment of maintenance/household expenses (d) Any other, specify		
14.	History of criminal behaviour	(a) Constant fear of violence (b) Fear of revenge by the Respondent	(a) Respondent has a tendency to violate law and is likely to flout orders passed by the court against him (b) Respondent might cause harm to the aggrieved person/children for filing any further proceedings (c) Any other, specify		
15.	Not provided money towards maintenance, food, clothes, medicines, etc.	(a) Driven towards vagrancy and destitution (b) Any other, specify	(a) Have to face great hardship to fulfill the needs and requirements of her child/children and herself (b) Any other, specify		
16.	Stopped, disturbed from carrying on employment or not allowed to take up the same	a) Not able to fulfill the basic needs for yourself and your children b) Any other, specify	a) Have to face great hardship to fulfill the needs and requirements of her child/children and herself b) Any other, specify		
17.	Forced out of the house, stopped from accessing or using any part of the	(a) Having no place to stay for yourself and your children	(a) Safety of her child/children and herself (b) Have to face great hardship		

A	B	C	D	E
house or prevented from leaving the same	(b) Being restricted to a particular area of the house	in providing shelter for her and her children (c) Any other, specify		
18. Not allowed use of clothes, articles or things of general household use	(a) Losing possession of the same (b) Not having resources to replace the same	(a) The same may be disposed off by the Respondent (b) Any other		
19. Non payment of rent in case of a rented accommodation	(a) Being asked to leave the same by the owner on such non payment (b) No alternate accommodation to go to (c) No income to afford a rented accommodation	(a) Losing shelter (b) Facing great hardship (c) Any other, specify		
20. Sold, pawned stridhan or any other valuables without informing or without consent	(a) Loss of valuables or property (b) Any other, specify	(a) The same may be disposed off by the Respondent (b) Any other, specify		
21. Dispossessed of stridhan	(a) Deprived of the property in her possession (b) Any other, specify	(a) The same may be disposed off by the Respondent (b) Fear of never receiving the same again (c) Any other, specify Please specify		
22. Breach of civil/criminal court order, specify order	Please specify	Please specify		

Signature
Aggrieved Person

Signature
Service Provider/ Protection
Officer/Police Officer

FORM VI

{ See rule 11(1) }

Form for registration as service providers under section 10(1)
of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

1.	Name of the applicant	
2.	Address alongwith Phone number, e-mail address, if any.	
3.	Services being rendered	☐ Shelter ☐ Psychiatric Counselling ☐ Family counselling ☐ Vocational Training Centre ☐ Medical Assistance ☐ Awareness Programme ☐ Counselling for a group of people who are victims of domestic violence and family disputes ☐ Any other, specify.
4.	Number of persons employed for providing such services:	
5.	Whether providing the required services in your institution requires certain statutory minimum professional qualification? If yes, please specify and give details.	
6.	Whether list of names of the persons and the capacity in which they are working and their professional qualification is attached?	☐ Yes ☐ No

7.	Period for which the services are being rendered:	☐ 3 years ☐ 4 years ☐ 5 years ☐ 6 years ☐ More than 6 years
8.	Whether registered under any law/regulation	☐ Yes ☐ No
	If yes, give the registration Number	
9.	Whether requirements prescribed by any regulatory body or law fulfilled?	
	If yes, the name and address of the regulatory body:	

Note:- In case of a shelter home, details under column 10 to 18 are to be entered by registering authority after inspection of the shelter home.

10.	Whether there is adequate space in the shelter home	☐ Yes ☐ No
11.	Measured area of the entire premise	
12.	Number of rooms	
13.	Area of the rooms	
14.	Details of security arrangements available	
15.	Whether a record available for maintaining a functional telephone connection for the use of inmates for the last 3 years	
16.	Distance of the nearest dispensary/ clinic/medical facility	
17.	Whether any arrangement for regular visits by a medical professional has been made?	☐ Yes ☐ No
	If yes, name of the	

Medical Professional

Address

Contact number

Qualification

Specialization

18. Any other facilities available, specify

Note:- In case of a counseling centre, details under column 19 to 25 are to be entered after inspection by registering authority

19. Number of counselors in the centre

20. Minimum qualification of the counselors, specify

- ☐ Under graduate ☐ Graduate ☐ Post graduate
☐ Diploma holder ☐ Professional degree
☐ Any other, specify

21. Experience of the counselors

- ☐ Less than a year ☐ 1 year ☐ 2 years
☐ 3 years ☐ More than 3 years

22. Professional qualification/experience of counselors

- ☐ Professional degree
☐ Experience in family counseling as
a.....(designation) in
the.....(Name of the
organization)

- ☐ Experience in psychiatric counseling as.....(designation) in the.....(Name of the organization)

- ☐ Any other relevant experience, please specify

23. Whether a list of names of counselors along with their qualifications has been annexed

☐ Yes

☐ No

24. Type of counseling provided

- ☐ Supportive one-to-one counseling
- ☐ Cognitive behavioural therapy (CBT) {Mental process that people use to remember, reason, understand, solve problems and judge things}
- ☐ Providing counseling to a group of people suffering
- ☐ Family counseling

7. Facilities provided

- ☐ Offering personal professional and confidential counseling sessions
- ☐ A safe environment to discuss problems and express emotions
- ☐ Information on counseling services, support groups and mental health care resources
- ☐ One to one counseling and group work
- ☐ Therapies, ongoing counseling and health related support
- ☐ Any other, please specify

(1) Services being provided

[illegible]

☐ No

.....If necessary continue on a separate sheet.

(Seal)

FORM VII
[See rule 11(1)]

NOTICE FOR APPEARANCE UNDER SECTION 13 (1) OF THE
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

IN THE COURT OF.....;

P/S:.....

IN THE MATTER OF:

Ms.....

...COMPLAINANT

VERSUS

Mr.

...RESPONDENT

To,

Mr.....

S/o.....

R/o.....

.....

.....

WHEREAS the Petitioner has filed an application(s) under
section.....of the Protection of Women from Domestic
Violence Act, 2005 (43 of 2005);

You are hereby directed to appear before this Court on
the..... day of..... 20..... at.....o'clock in
the.....noon personally or through a duly authorized

counsel of this Court to show cause why the relief(s) claimed by the Applicant against you should not be granted, failing which the court shall proceed ex parte against you.

Given under my hand and the seal of the Court of.....on the day of 20.....

Signature

Seal of the Court

[F.No.19-3/2005-WW]

PARUL DEBI DAS, Jt. Secy.